

<p>रूप-पत्र 15 (नियम 55 देखिये)</p>	<p>रूप-पत्र 15 (उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 का नियम 55 देखिये)</p>		
<p>निबन्धन (रजिस्ट्री) संख्या.....</p>	<p>उत्तर प्रदेश व्यापार- कर ऐक्ट 1948(1948 की ऐक्ट संख्या 15) की धारा 8-क के धीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रजिस्ट्री संख्या..... मै,.....हल्का (सर्किल/उप-हल्का (सब-सर्किल) का व्यापार कर अधिकारी/व्यापार कर अधिकारी श्रेणी (दो) एतद् द्वारा श्री/सर्वश्री.....को..... कर निर्धारण वर्ष के लिये निबद्ध((रजिस्टर) करता हूँ। यह रजिस्ट्री, जब तक कि उसका नवीकरण न करा लिया जाय, 31 मार्च, 19.....तक प्रभावी रहेगी। व्यापार का मुख्य स्थान..... में अवस्थिति है और व्यापार.....नाम तथा उपाधि (Style) से किया जाता है। इसकी निम्नलिखित शाखायेम है:- 1..... 2..... 3..... व्यापार कर अधिकारी, हल्का (सर्किल) व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 उप-हल्का (सब सर्किल) मुहर तारीख.....</p>		
<p>नवीकरण के ब्योरे</p>			
<p>वर्ष जिसके लिए नवीकरण हुआ हो</p>	<p>प्रार्थना-पत्र देने की तारीख</p>	<p>नवीकरण की तारीख</p>	<p>व्यापार कर अधिकारी के हस्ताक्षर</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>